

अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि अनवानी अपील प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए लोक अदालत की भावना से अपने अपील प्रकरण को प्रार्थी इसी स्टेज पर दाखिल दफतर करवाना चाहता है। साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने नोटप्रेस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रेस करने के कारण, हस्तगत अपील नोटप्रेस में खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।



अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर